



31/1/22

कोरोना वैश्विक महामारी के कारण ~~पत्रावली~~
~~पत्रावली~~ ~~पत्रावली~~ ~~पत्रावली~~
पत्रावली आज पर ~~पत्रावली~~ आदेशानुसार
दिनांक 23/02/22 को पेश हो।


अतिरिक्त संभागीय जादूक
पपुन


23/02/22

पत्रावली पत्रावली ~~पत्रावली~~ ~~पत्रावली~~ ~~पत्रावली~~
लक्षित दिनांक ~~पत्रावली~~ ~~पत्रावली~~ ~~पत्रावली~~
दिनांक 18/03/22 को पेश हो।


अतिरिक्त संभागीय जादूक
पपुन

28/3/22



पत्रावली पत्रावली ~~पत्रावली~~ ~~पत्रावली~~ ~~पत्रावली~~
व्यक्तिगत कार्य स्थिति को जमाने से पूर्व आदेशानुसार
पत्रावली दिनांक 20/4/22 को पेश हो।


अतिरिक्त संभागीय जादूक
पपुन

1/4/22

आधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र वाकत पत्रावली
तलवी करने एवं प्रा.पत्र वाकत अपील विद्वा करने
प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज तलब हुई। वकील
अपीलाधी श्री राजकुमार शर्मा ने प्रार्थना पत्र विद्वा
करने के तथ्य को दोहराते हुए कथन किया है कि
उक्त उक्तानी अपील में अंकित अपीलान्ट्स एवं रैस्पोंडेंट
के मध्य लोक अदालत की भावना से शरीनामा गांव
के पत्रावली द्वारा आपसी अमझाईस से शरीनामा
हो गया है। इस कारण अपीलान्ट अपील को आगे नहीं
चलाना चाहते हैं। चूंकि गोरखन लकवाग्रस्त होने के
कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असमर्थ
हैं। गोरखन के अंगूठा निशान ही प्रार्थना पत्र पर अंकित
है। उपरोक्त उक्तानी अपील को अपीलान्ट नहीं चलाना
चाहते हैं। अपीलान्ट की ओर से प्रार्थना पत्र स्वीकार
कर अपील विद्वा करने की कृपा करें।

हमने आधिवक्ता अपीलान्ट की वद्वस पर
अनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया
जिससे जाहिर होता है कि पक्षकारान के मध्य
शरीनामा हो जाने से अपीलार्थीगण स्वयं ही
अपनी अपील को आगे नहीं चलाना चाहते हैं।


221-7047
गोरखन माली जरीये
पौत्र जितेंद्र खैनी

221-7047
विजयान
एवम्
गोविन्द प्रदेव
22/4/22
11/4/22

43/2021

तेजा v/s रजदमल

नम्बर व दिनांक
आह्वान जो हुक्म
कम की ताकीद
म. गरी नगर

ऐसी स्थिति में अब इस अपील को आगे बढाये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः अपीलार्थी का प्रा.पज विडो स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थीगण स्वयं अपील विडो किये जाने के कारण अपील अपीलार्थी स्वारिज की जाती है। पञ्जावली फैमल शुमार होकर नम्बर से कम हो। इस न्यायालय की पञ्जावली बाद लकमील प्राप्त दोखिल दफतर हो। अधीनस्थ न्यायालय विधिवत सूचित हो। आदेश सुनाया गया।

14/22 M

उतिरिक्त संभागीय न्यायालय
पञ्जावली